UPEW010014742024

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**

(J.O. Code- UP01632)

विशेष वाद सं०/334/2024

उ०प्र० राज्य बनाम अशोक कुमार शाक्य

मु०अ०सं०–227/2021
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–ए.पी.टी., जिला–इटावा।

<u>**दिनांक–29.05.2026**</u>

1. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त उपस्थित।

2. अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र 11 ख/1 मयशपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त मुकदमे में प्रार्थी अभियुक्त है। प्रार्थी द्वारा विद्युत विभाग की समस्त धनराशि जमा कर दी गयी है। अब कोई शेष बकाया नहीं है। इससे पूर्व शमनीय आधार पर कोई मुकदमा निस्तारित नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त मुकदमा की कार्यवाही समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) की ओर से अपनी आख्या अंकित कर कथन किया गया है कि अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक सं०–1367 दिनांकित 24.02.2025 के अनुसार 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि 4094/–रुपये शेष धनराशि 18234/–रुपये कुल धनराशि 23036/–रुपये दिनांक 30.11.2023 तक ओ.टी.एस. योजना के अन्तर्गत जमा कर दिया गया है। वाद के निस्तारण में कोई आपत्ति नहीं है।

4. उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में अधिशाषी अभियन्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० इटावा द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1367/वि0 वि0 ख 0 प्र 0 इ०/ दिनांकित 24.02.2025 की प्रति दाखिल की गयी हैं, जिसके अनुसार अभियुक्त द्वारा कुल धनराशि 23036/–रुपये दिनांक 30.11.2023 तक ओ.टी.एस. योजना के अन्तर्गत जमा कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) द्वारा शमन के आधार पर अभियोग की कार्यवाही समाप्त किये

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.05.29 13:25:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाने में सहमति व्यक्त की गयी है।

6. प्रस्तुत प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत शमनीय है। अतः न्यायहित में विशेष वाद शमन किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अशोक कुमार शाक्य के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा–152 के आधार पर शमन करते हुये, विशेष वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। तदनुरूप अभियुक्त अशोक कुमार शाक्य को दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, अभियुक्त का बन्धपत्र निरस्त किया जाता है तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632